(85)

समक्ष—न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर(म0प्र0)

R 5012-II/17

चन्दू कोल पिता बैसाखू कोल उम्र 50 वर्ष पेशा खेती मजदूरी निवासी ग्राम आमाडाड़ी थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)...निगराकार

वनाम

बिहारीलाल पटेल पिता रामकृपाल उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बेरमा थाना व तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)...गैरनिगराकार

आवेदक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र तिवारी एड द्वारा पेश किया गया 11-1-17
11.1.17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेड़ी तहसील मैहर जिला सतना के द्वारा पारित सीमांकन प्र0क0 32अ—12/15—16 आदेश दिनांक 19/11/2016 ।
<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता</u>

मान्यवर,

निगराकार की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि—

यहकि निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि आराजी ख0न0 40/2/क रकवा 1.516 हे0 स्थित निवासी ग्राम आमाडाड़ी तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0) की आराजी है,जो निगराकार के स्वत्व व कब्जादखल की आराजी है। जिसें निगराकार ने अर्सा 5—6 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर आज तक काबिज दाखिल चला आरहा है। इसी तरह गैरनिगराकार ने भी आराजी ख0न0 40/1 रकवा 0.543 हे0 स्थित निवासी ग्राम आमाडाड़ी तहसील मैहर को लगभग 10—15 वर्ष क्रय कर काबिज दाखिल चला आरहा है। गैरनिगराकार व निगराकार के मध्य कब्जादखल को लेकर कभी कोई बिवाद नही रहा हैं। निगराकार को तहसील न्यायालय मैहर से धारा 250 का0मा0 के तहत पेशी दिनांक 23/12/2016 की सूचना प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि गैरनिगराकार ने राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेडी तहसील मैहर जिला सतना के द्वारा अपने आराजी ख0न0 40/1 रकवा 0.543 हे0 का सीमांकन प्र0क0 32अ—12/15—16 आदेश दिनांक 19/11/2016 के द्वारा सीमांकन करवाया है, और सीमांकन मे गैरनिगराकार के आराजी का दवता रकवा दक्षिण से उत्तर 1.00 जरीब चौड़ाई तथा पूर्व से पश्चिम 6.35 जरीव लम्बाई निगराकार की आराजी मे पाया गया, जवकि उक्त सीमांकन मे मौके से निगराकार को कोई सूचना न दी गई और नहि निगराकार सीमांकन कार्यवाही मे मौके पे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5012–दो / 17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र तिवौरी उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेडी तहसील मैहर जिला सतना का प्रकरण कमांक 32 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0 न0 40 / 2 / क रकवा 1.516 है0 स्थित निवासी ग्राम आमाडाडी तहसील मैहर जिला सतना की आराजी है जो आवेदक के स्वत्व व कब्जादखल की आराजी है। अनावेदक द्वारा दिनांक 19.11.16 को सीमांकन कराने पर अनावेदक के आराजी ख0 न0 40 / 1 रकवा 0.543 है0 का जिसमें दवता रकवा आवेदक की आराजी में पाया गया । इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है और चोरी छिपे सीमांकन की कार्यवाही की गई है। आवेदक एक	

अनपढ़ एवं आदिवासी जाति का होने के कारण अनावेदक द्वारा नाजायत फायदा उठाकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि तहसील न्यायालय मैहर से धारा 250 का मामला की पेशी दिनांक 23.12.16 की सूचना प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेडी के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की जानाकरी हुई । उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4— मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिसंसे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेडी तहसील मैहर जिला सतना द्वारा दिनांक 20.10.16 को सूचना पत्र जारी कर सरहदी कास्तकारों को दिनांक 26.10.16 को उपस्थित होने की जानकारी दी गई जिसमें चंदू कोल का सूचना पत्र पर अंगुष्ठ का निशान लगा हुआ है जिससे से स्पष्ट है कि आवेदक को इसकी जानकारी थी इसलिये आवेदक अधिवक्ता के तर्क में ऐसा कोई बल नहीं मिलता है कि यह माना जा सके कि आवेदक को इसकी सूंचना नहीं थी। सीमांकन पंचनामा में स्पष्ट लेख किया गया है कि आवेदक चंदू कोल द्वारा दबता रकवा जिसे मौके पर छोड़ने के लिये सहमति भी व्यक्त की

गई है। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है, तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त कुसेडी तहसील मैहर जिला सतना का प्रकरण कमांक 32/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2016 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य